

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-बेगूं/अनु.कार्य./2020/216 जयपुर,दिनांक: 4/02/2020

:: आदेश ::

चूंकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता का श्री मदन लाल शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मदन लाल शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ़ रहेगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री मदन लाल शर्मा को उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बेगूं (चित्तौडगढ़) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश का इनकी सेवापुस्तिका में इन्द्राज लाल स्याही से कर प्रमाणित प्रति भिजवाना सुनिश्चित करावें।
6. श्री मदन लाल शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्तौडगढ़ के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें एवं बिना सक्षम पूर्वानुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II